भारत सरकार

परमाणु ऊर्जा विभाग

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या 133

उत्तर दिनांक 31.07.2024 को दिया गया

बांसवाड़ा स्थल से लोगों का विस्थापन

*133. श्री राजकुमार रोत :

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बांसवाड़ा के स्थल, जहां परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया जा रहा है, से विस्थापित हो रहे लोग वही जनजातीय लोग हैं जो विगत में माही बांध के कारण विस्थापित हुए थे;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन जनजातीय लोगों को दो बार विस्थापित करने का क्या औचित्य है;

(ग) उक्त परमाणु विद्युत संयंत्र के कारण कितने गांव और कितने लोग प्रभावित हो रहे हैं;

(घ) अब तक कितने लोगों को मुआवजा मिल चुका है और कितनी-कितनी राशि मिल चुकी है;

(ङ) क्या पीईएसए अधिनियम के अंतर्गत क्षेत्र की प्रभावित ग्राम सभा से सहमति प्राप्त कर ली गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और अब तक किन-किन व्यक्तियों को मुआवजा मिल चुका है;

(च) क्या सरकार भविष्य में इस परियोजना के प्रतिकूल प्रभावों और वहां स्थानीय लोगों द्वारा किए गए विरोध को देखते हुए इस परियोजना को बंद करने पर विचार कर रही है; और

(छ) यदि हां, तो इसे कब तक बंद किए जाने की संभावना है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन तथा प्रधान मंत्री कार्यालय (डॉ. जितेन्द्र सिंह)

(क) से (छ) : सदन के पटल पर विवरण प्रस्तुत है।

*****

श्री राजकुमार रोत द्वारा "बांसवाड़ा स्थल से लोगों का विस्थापन" के संबंध में, दिनांक 31.07.2024 को उत्तर देने के लिए, पूछे गए लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 133 के भाग (क) से (छ) के संदर्भ में विवरण।

(क) नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) 6 गांवों से कुल 1776 परियोजना प्रभावित व्यक्ति (पीएपी) हैं। 1776 प्रभावित व्यक्तियों में से 1715 परियोजना विस्थापित व्यक्ति हैं तथा 61 अधिग्रहित भूमि क्षेत्र से बाहर के निवासी हैं।

(घ) भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन में उचित मुआवजा एवं पारदर्शिता अधिकार (आरएफसीटीएलएआरआर) अधिनियम 2013 के अनुसार, कुल 3044 स्वामित्वधारियों, संयुक्त स्वामित्वधारियों तथा परिसंपत्ति धारकों को कुल 255.40 करोड़ रुपए का मुआवजा वितरित किया गया है। वर्तमान में 29.38 करोड़ रुपए की राशि के कुल सात मामले लंबित हैं, जिनमें से पांच माननीय जोधपुर उच्च न्यायालय, एक उप खंड अधिकारी, बांसवाड़ा तथा एक राज्य सरकार के पास है।

पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन (आर एंड आर) के लिए मुआवजा निम्नानुसार था :

- विस्थापित न होने वाले पीएपी : रुपए 5,50,000
- विस्थापित होने वाले पीएपी और आर एंड आर टाउनशीप में घर का विकल्प चुनने वाले : रुपए 7,11,000
- विस्थापित होने वाले पीएपी लेकिन आर एंड आर टाउनशिप में घर का विकल्प नहीं चुनने वाले : रुपए 9,61,000

(ङ) परियोजना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली चार पंचायतों - केसरपुरा, नापला, कटुम्बी और बारी की ग्राम सभाओं ने परियोजना की स्थापना के लिए सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया।

(च) नहीं।

(छ) प्रश्न नहीं उठता।

*****